पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 94/2024

अनवान :

1. ममता पुत्री बालुराम पत्नी योगेश कुमार जाति खाती निवासी उतरादाबास हाल निवासी खरक कला तहसील भिवानी हरियाणा।
2. प्रेमलता पुत्री बालुराम पत्नी विकास जाति खाती निवासी उतरादाबास हाल निवासी खरक कला तहसील भिवानी हरियाणा।

:– **वादीगण**

बनाम

1. बालुराम पुत्र मुलाराम जाति खाती निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचंद शर्मा एवं वकील प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 244/227 के ख0सं0 852/24 की 0.4680है0, खसरा सं0 853/305 की 1.6060है0 कुल 2.0740है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 बालुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 बालुराम का नाम कलमजन कर वादी सं0 1 ममता व वादी सं0 2 प्रेमलता को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं0 90/89 के ख0सं0 425/1 की 1.2650है0 कृषिभूमि वादीगण की माता नानावती के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को नानावती के नाम यथावत रखा जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-06-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.19 10:31:08 IST
Reason: SelfAttested

11/06/24

(ओम प्रकाश चन्देलिया) RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner